न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 208/2013

वादी :-

1. सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
जाति-राजपूत,निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रामसिंह दत्तक पुत्र जोरावरसिंह
(फौत) के कायम मुकाम :-
1/1 हरबक्शसिंह पुत्र रामसिंह
1/2 बोदूसिंह पुत्र रामसिंह
1/3 मीठूसिंह पुत्र रामसिंह
1/4 भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
1/5 ओमसिंह पुत्र रामसिंह
1/6 श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
1/7 बलवीरसिंह पुत्र रामसिंह
जातियान-राजपूत,निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:-18/07/2013

उपस्थितः. 1. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, राजूनाथ एवं संतोष कंवर अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 20-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 238 रकबा 17-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 239 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 269 रकबा 54-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 270 रकबा 0-12 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-5 कुल रकबा 103-19 बीघा की आई हुई हैं, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा आता हैं एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का आता हैं। इसी माफिक काबिज होकर काश्त करते हैं। नकल चालू जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 व नक्शा ट्रेश की प्रति साथ पेश की हैं, जिसे वाद पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादी को अपने नाम से उक्त भूमि का किसान विकास पत्र बनाने की आवश्यकता होने से दिनांक 05/07/13 को पटवार हल्का-सांगावास के पास गये व किसान विकास पत्र बनाने का निवेदन किया, तो पटवार हल्का-सांगावास ने वादी को कथन किया कि वह पहले अपने नाम से उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने नाम से अलग बंटवाड़ा करवे, तब ही मैं आपको आपके नाम से किसान विकास पत्र दे सकूँगा। इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 10/07/2013 को उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने के लिये कहा व निवेदन किया, तो प्रतिवादीगण तमाम ईन्कार हो गये व वादी को उसके हक हिस्से की आराजी से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बेदखल करने की एलानिया धमकी दी एवं कहा कि तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को अजनबी क्रेता को बेचान कर देगें व तुझे बेदखल कर कब्जा सौंप देगें। इस पर वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना बंटवाड़ा कराये ही अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा हैं। इसलिये वादी के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। दिनांक 05/07/13 को वादी द्वारा पटवारी से अपने नाम किसान विकास पत्र बनाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/7 से उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण ने वादी को उसके हक हिस्से की 1/2 भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने व जमीन को अन्य अजनबीक्रेता को बेचान करने की धमकी देने तथा वादी को जबरदस्ती बेदखल करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण ने वादी को उसके 1/2 हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर दिया, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन भी मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। तब वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा, जिससे मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब वादी के पास उपरोक्त परिस्थितियों में अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जो कि बंटवाड़ा के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं एवं भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उनके 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वादी का उक्त वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। तब तक वादी के वाद पत्र पेश करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। तब इन परिस्थितियों में प्रतिवादीगण संख्या 02 को नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर वाद पत्र अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किय जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी का साथ पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 10/07/2013 को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती बेदखल करने की एलानिया धमकी देने व भूमि को अन्य अजनबी क्रेता को बेचान करने की एलानिया धमकी देने पर मुकाम-झुझण्डा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वाद पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 10/09/2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील मय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 022 नियम 4 सीपीसी मय मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रतिवादी संख्या 1/5 ओमसिंह दिनांक 07/10/2013 को पेश कर उनके फौत हो जाने से उनके विधिक कायम मुकाम छगनकंवर पत्नि तथा अमितसिंह पुत्र को कायम मुकाम बनाये जाने की ईश्तदुआ पर बाद विधिक सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया गया एवं संशोधित टाईट्ल सामिल पत्रावली किया गया। वादी स्वयं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/4, 1/5/1 से 1/5/2 स्वयं तथा 1/6 व 1/7 जरिए अधिवक्ता संतोषकंवर एक तहरीरी राजीनामा पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य गांव के मौजिज सख्सों की समझाईस से सामाजिक स्तर पर आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया कि जरिए राजीनामा वाद डिक्री करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। राजीनामा पृथक से तस्दीक कर सामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड चूँकि वादी स्वयं खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। जिसके जबाब बहस में वकील प्रतिवादीगण ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड एवं दावा राजीनामा हो चुका हैं, लिहाजा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत वाद-पत्र राजीनामा तथा दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन भी किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं हस्ब राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा माफिक दावा उभय पक्षों ने बंटवाड़ा किये जाने में स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा जरिए राजीनामा वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी की भूमि का पक्षकारानों में विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 20-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 238 रकबा 17-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 239 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 269 रकबा 54-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 270 रकबा 0-12 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-5 कुल रकबा 103-19 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2014/526 दिनांक 26/05/2014 एवं 1102 दिनांक 25/11/2014 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी मौका फर्द दिनांक 01/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सांगावास में पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 01/06/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 20-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 238 रकबा 17-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 239 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 269 रकबा 54-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 270 रकबा 0-12 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-5 कुल रकबा 103-19 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	237 238 269/5 269/8	16-10-00 14-04-00 6-00-00 14-00-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0	10.23 रू. 8.80 रू. 3.72 रू. 8.68 रू.
योग		4	50-14-00	बा0अ0	31.43 रू.
2	भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीदूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ईश्वरसिंह मानसिंह रघुराजसिंह रेखाकंवर माता खेमकंवर पुत्री रामसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	237/1 238/1 239 269/5	4-07-00 3-00-00 11-04-00 5-04-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0	2.69 रू. 1.86 रू. 6.94 रू. 3.22 रू.
योग		4	23-15-00	बा0अ0	14.71 रू.
3	भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह 2/3 हि0, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह 1/6 हि0, भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीदूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह 1/6 हि0, कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	269/4 269/7	4-00-00 14-00-00	बा0अ0 बा0अ0	2.48 रू. 8.68 रू.
योग		2	18-00-00	बा0अ0	11.16 रू.
4	कान्तादेवी पत्नि रामलाल 3/4 हि0, सोहनलाल पुत्र चौथाराम 1/4 हि0 कौम–माली सा0 जैतारण खातेदार।	269	8-00-00	बा0अ0	4.96 रू.
5	मंगलाराम पुत्र अमराराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	269/1	1-00-00	बा0अ0	0.62 रू.
6	सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह 1/2 हि0, भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीदूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ईश्वरसिंह मानसिंह रघुराजसिंह रेखाकंवर माता खेमकंवर पुत्री रामसिंह 1/2 हि0 कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	238/2 269/2 269/6 270	0-02-00 1-04-00 0-12-00 0-12-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 गै.मु.बेरा	0.06 रू. 0.74 रू. 0.37 रू. -
योग		4	2-10-00		1.17 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 01/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र–सांगावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
जाति-राजपूत,निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

1. रामसिंह दत्तक पुत्र जोरावरसिंह
(फौत) के कायम मुकाम :-
1/1 हरबक्शसिंह पुत्र रामसिंह
1/2 बोदूसिंह पुत्र रामसिंह
1/3 मीदूसिंह पुत्र रामसिंह
1/4 भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
1/5 ओमसिंह पुत्र रामसिंह
1/6 श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
1/7 बलवीरसिंह पुत्र रामसिंह
जातियान-राजपूत,निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:208/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, राजूनाथ एवं संतोष कंवर अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 20-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 238 रकबा 17-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 239 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 269 रकबा 54-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 270 रकबा 0-12 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-5 कुल रकबा 103-19 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	237 238 269/5 269/8	16-10-00 14-04-00 6-00-00 14-00-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0	10.23 रू. 8.80 रू. 3.72 रू. 8.68 रू.
योग		4	50-14-00	बा0अ0	31.43 रू.
2	भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीदूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ईश्वरसिंह मानसिंह रघुराजसिंह रेखाकंवर माता खेमकंवर पुत्री रामसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	237/1 238/1 239 269/5	4-07-00 3-00-00 11-04-00 5-04-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0	2.69 रू. 1.86 रू. 6.94 रू. 3.22 रू.
योग		4	23-15-00	बा0अ0	14.71 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

3	भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह 2/3 हि0, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह 1/6 हि0, भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीठूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह 1/6 हि0, कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	269/4 269/7	4-00-00 14-00-00	बा0अ0 बा0अ0	2.48 रू. 8.68 रू.
योग		2	18-00-00	बा0अ0	11.16 रू.
4	कान्तादेवी पत्नि रामलाल 3/4 हि0, सोहनलाल पुत्र चौथाराम 1/4 हि0 कौम-माली सा0 जैतारण खातेदार।	269	8-00-00	बा0अ0	4.96 रू.
5	मंगलाराम पुत्र अमराराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	269/1	1-00-00	बा0अ0	0.62 रू.
6	सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह 1/2 हि0, भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीठूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ईश्वरसिंह मानसिंह रघुराजसिंह रेखाकंवर माता खेमकंवर पुत्री रामसिंह 1/2 हि0 कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	238/2 269/2 269/6 270	0-02-00 1-04-00 0-12-00 0-12-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 गै.मु.बेरा	0.06 रू. 0.74 रू. 0.37 रू. -
योग		4	2-10-00		1.17 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 01/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	07	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बावत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजानः-	15	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

वादी :-

1. सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
जाति-राजपूत,निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम प्रतिवादीगण :-

1. रामसिंह दत्तक पुत्र जोरावरसिंह
(फौत) के कायम मुकाम :-
1/1 हरबक्शसिंह पुत्र रामसिंह
1/2 बोदूसिंह पुत्र रामसिंह
1/3 मीदूसिंह पुत्र रामसिंह
1/4 भंवरसिंह पुत्र रामसिंह
1/5 ओमसिंह पुत्र रामसिंह
1/6 श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
1/7 बलवीरसिंह पुत्र रामसिंह
जातियान-राजपूत,निवासी-झुझण्डा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:208/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, राजूनाथ एवं संतोष कंवर अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र-निमाज, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 20-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 238 रकबा 17-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 239 रकबा 11-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 269 रकबा 54-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 270 रकबा 0-12 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-5 कुल रकबा 103-19 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	237	16-10-00	बा0अ0	10.23 रू.
		238	14-04-00	बा0अ0	8.80 रू.
		269/5	6-00-00	बा0अ0	3.72 रू.
		269/8	14-00-00	बा0अ0	8.68 रू.
योग		4	50-14-00	बा0अ0	31.43 रू.
2	भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीदूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ईश्वरसिंह मानसिंह रघुराजसिंह रेखाकंवर माता खेमकंवर पुत्री रामसिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	237/1	4-07-00	बा0अ0	2.69 रू.
		238/1	3-00-00	बा0अ0	1.86 रू.
		239	11-04-00	बा0अ0	6.94 रू.
		269/3	5-04-00	बा0अ0	3.22 रू.
योग		4	23-15-00	बा0अ0	14.71 रू.

(प्रमोद सीरवी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

Scanned by CamScanner

3	भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह 2/3 हि0, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह 1/6 हि0, भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीठूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह 1/6 हि0, कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	269/4 269/7	4-00-00 14-00-00	बा0अ0 बा0अ0	2.48 रू. 8.68 रू.
योग		2	18-00-00	बा0अ0	11.16 रू.
4	कान्तादेवी पत्नि रामलाल 3/4 हि0, सोहनलाल पुत्र चौथाराम 1/4 हि0 कौम–माली सा0 जैतारण खातेदार।	269	8-00-00	बा0अ0	4.96 रू.
5	मंगलाराम पुत्र अमराराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार।	269/1	1-00-00	बा0अ0	0.62 रू.
6	सवाईसिंह पुत्र हिम्मतसिंह 1/2 हि0, भंवरसिंह श्रवणसिंह हरबक्षसिंह मीठूसिंह बोदूसिंह बलवीरसिंह पि0 रामसिंह, रामकंवर पत्नि रामसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र ओमसिंह, ममताकंवर राजकंवर पुत्रियाँ ओमसिंह, छगनकंवर पत्नि ओमसिंह, ईश्वरसिंह मानसिंह रघुराजसिंह रेखाकंवर माता खेमकंवर पुत्री रामसिंह 1/2 हि0 कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	238/2 269/2 269/6 270	0-02-00 1-04-00 0-12-00 0-12-00	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0 गै.मु.बेरा	0.06 रू. 0.74 रू. 0.37 रू. -
योग		4	2-10-00		1.17 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 13/06/2018 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/06/2018 को जारी किया गया ।

13/06/18

(प्रमोद सारवा)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (पोस्टिंग)

(फास्ट ट्रेक) मुकामः– जैतारण

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजानः– मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner